धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली (पजिं)

ई - 505 पश्चिमी विनोद नगर, नई दिल्ली 110091

धानका - धाणका समाज की आम सभा दिनांक 16 अप्रैल 2023 (रविवार) धानका भवन कटेवा नगर जयपुर

अजेंडा : राजस्थान सरकार के 09.08.2019 के पत्र के पश्चात् धानका समाज के जाति प्रमाण पत्र में नहीं बनाये जा रहे हैं उसके सर्दभ में,

BRIEF OF MEETING (बैठक का संक्षिप्त)

1. दिनांक 16 अप्रैल 2023 को धानका सभा भवन कटेवा नगर जयपुर में राजस्थान धानका जनजाति सघर्ष समिति, राजस्थान धानका महासभा, जयपुर व धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें सभी की सहमति से श्री सुरज भान धानका पुव विधायक को अध्यक्ष (सभापति) नियुक्त किया गया , मिटिंग में लगभग 200 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी, जिसमें में श्री राम नारायण धानका, सघर्ष समिति टीम के साथ, श्री राजेन्द्र डाबी, महासभा टीम के साथ व धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली की टीम, श्री सन्त राम धानका, राजस्थान धानका आफिसर व कर्मचारी महासभा, श्री मोहन लाल लुगरिया, धानका समाज शेखावाटी 32 नागलोई दिल्ली की टीम, श्री फूल सिह खर्रा, महामंत्री धानका जनजाति समाज महासघ नबी करीम दिल्ली, श्री अनिल कुमार धानका,अध्यक्ष अलवर, राजस्थान अपनी टीम के साथ, श्री गुरदीप जी व श्री कैलाश जी धानका अध्यक्ष कोटपूतली, धानका अपनी पूरी टीम, श्री महेश धानका, श्री मुरारी लाल धानका अध्यक्ष बाबा बाबल नाथ मंदिर बानसूर अलवर, श्री रोशन लाल खर्रा,समाजिक कार्यकता नीम का थाना सीकर, श्री महावीर जी भाटी, एडवोकेट अजमेर, श्री मुकेश मावर एडवोकेट जयपुर, श्री चरन सिंह देराण, एडवोकेट जयपुर, श्री राज किशोर जी एडवोकेट जयपुर, श्री नन्द लाल धानका अध्यक्ष 13 परगना व टीम, श्री भवर लाल जी निरवान पूव अध्यक्ष 13 परगना, श्री रमेश खाण्डे समाज कार्यकर्ता जयपुर, श्री राकेश परमार सामाजिक कार्यकर्ता जयपुर, डा रमेश सौलकी दिल्ली, श्री घन श्याम धानका, कोटपूतली, श्री सोहन लाल धानका, निदेशक व सयुंक्त सचिव जयपुर, श्री महदेव जी फरड प्रधान 13 देवा जयपुर, श्री गोपाल जी कायत जयपुर, श्री केसर लाल कायत घाटे जयपुर, श्री नरेन्द्र कुमार धानका अलवर, श्री कबूल सिंह धानका, अलवर, श्री बलवीर सिह चोरावत अलवर, श्री बद्री जी टाक जयपुर, श्री जी डी वर्मा, भूतपूव कमीशनर, श्री सोहन प्रकाश धानका (कवि) आदि

2. सबसे पहले आयोजकों के द्वारा 9.8.2019 के सर्दभ में किये गये कार्य का विवरण दिया गया

1.. **श्री बाबू लाल मावर अध्यक्ष धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली** ने सभा में सभी को अवगत कराया कि समिति द्वारा जुलाई 2022 से लेकर मार्च 2023 तक केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार के साथ किये गए पत्रकार तथा केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्रो के जबाब पढकर बताया (**प्राप्त पत्रो के जबाब Appendix संग)**

(पत्र सख्यां - 1) धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली ने श्री टीका राम जूली मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जयपुर को 25 जुलाई 22 व 18 नवम्बर 22 को पत्र लिखा था 09.08.2019 का पत्र तुरंत वापस ले तथा धानका - धाणका जाति के जाति प्रमाण पत्र जल्दी ही जारी किये जाये

(पत्र सख्यां - 2) समिति ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग के चैयरमैन श्री हर्ष चौहान जी को 06 अक्टूबर को पत्र लिखा था. 09.08.2019 का पत्र तुरंत वापस ले तथा धानका - धाणका जाति के जाति प्रमाण पत्र जल्दी ही जारी किये जाये

(पत्र संख्या -3) समिति ने प्रशासन सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जयपुर को दिनांक 27 जून 2022 06 अक्टूबर 2022 व 11 नवम्बर 2022 Reminder को पत्र लिखा. 09.08.2019 का पत्र तुरंत वापस ले तथा धानका - धाणका जाति के जाति प्रमाण पत्र जल्दी ही जारी किये जाये

(पत्र संख्या - 4) समिति ने मई 2022 को मुख्य सचिव राजस्थान को प्रत्र लिखा है जिसमें जनजाति कार्य मंत्रालय के पत्र फरवरी 2020 व मार्च 2022 के बारे में सष्टीकरण मागा गया, सम्बधित विभाग ने मामले को Under Progress बताया है.

(पत्र संख्या - 5) दिनांक **07** फरवरी **2023** को श्री अजगर अली**,** अवर सचिव जनजाति कार्य मंत्रालय 09.08.2019 से मिले

(पत्र संख्या –6) श्री अजगर अली अवर सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दिनांक 21-02- 2023 को राजस्थान के मुख्य सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग को एक पत्र लिखा गया जिसमें 09.08.2019 का पत्र तुरंत वापस ले तथा धानका - धाणका जाति के जाति प्रमाण पत्र जल्दी ही जारी किये जाये

(*पत्र*संख्या -7) समिति ने मार्च**, 17** जून **22** को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को पत्र लिखा

(पत्र संख्या -8) जुलाई / अगस्त **2022** को समिति ने **RTI** के द्वारा वर्ष **2011** की प्रेत्यक जिले व जाति सहित जनगणना रिपोर्ट मागी गई**.**

(पत्र संख्या -9) समिति ने वर्ष **2011** की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर दिनांक **19** जनवरी **2023** को राजस्थान के जनगणना विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया

(पत्र संख्या -10) दिनांक **17 Nov 2022** को राजस्थान सरकार के सयुंक्त सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया धानका- धाणका के अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र अग्रेजी में (DHANKA) के **नाम** से जारी किये जाये

(पत्र संख्या -11) धानका विकास बोर्ड - दिनांक 19 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अवगत कराया

(पत्र संख्या -12) दिनांक 16 फरवरी 2023 को अर्जुन राम मेघवाल के निजी सचिव श्री तेजा राम जी से मिले

(पत्र संख्या- 13) दिनांक 10 मार्च 2023 को श्री ओम बिरला, स्पीकर लोकसभा के निजी सचिव से मिले

(पत्र संख्या- 14) दिनांक 07 जुलाई 2022 को श्री अनिल कुमार झा , सचिव,जनजातीय कार्य मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत कराया जिसमें 09.08.2019 का पत्र तुरंत वापस ले तथा धानका - धाणका जाति के जाति प्रमाण पत्र जल्दी ही जारी किये जाये

(पत्र संख्या- 15) दिनांक 19 जनवरी 2023 को सुश्री आर जया, अपर सचिव, जनजातीय मामला मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत कराया जिसमें 09.08.2019 का पत्र तुरंत वापस ले तथा धानका - धाणका जाति के जाति प्रमाण पत्र जल्दी ही जारी किये जाये

2. श्री राम नारायण जी ने अध्यक्ष, सभा में बताया कि 9.8.2019 से लेकर अभी तक जो भी कार्यवाही की वह निम्म प्रकार से है।

(i) समिति ने 2018 में समाज कल्याण विभाग को R TI लगाई जिसमें धानका जाति के प्रस्ताव के बारे में लिखा।

(ii) 2018 मे एक RTI लगाई जिसमें हमारे दस्तावेजों के निरक्षण करने का समय मागा। लेकिन सम्बन्धित विभाग ने हमें समय नहीं दिया 23.7.2018 को समाजिक न्याय व आधिकारिक विभाग को RTI लगाई जिसमें

(iii) 19.05.2019 को एस पी मीणा , जनजातीय मंत्रालय दिल्ली को व श्री गुलाब सिंह चैयरमैन को व मुख्य सचिव राजस्थान को पत्र लिखा कि जिन जिन लोगो ने (तहसीलों से) हमारे प्रमाण पत्र गलत जारी किया गया है हमें उनके खिलाफ चार्जशीट लगानी चाहिए।

(v) अनुसूचित जनजाति आयोग के चैयरमैन जब जयपुर आये तब हम उनसे मिलकर अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया गया ओर ज्ञापन दिया गया।

(vi) 9.8.2019 व 24.09.2019 के सर्दभ में हमने अखिल अरोरा को पत्र लिखा अखिल अरोरा जी ने बताया कि अगर हमारे पास दो जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट आ गई तो हम आपके जाति प्रमाण बनाने शुरू कर देगे।

(vii) इसी सर्दभ में हमने बताया कि आपके पास चार जिलो से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सा न्याय विभाग इन रिपोर्ट को सही नहीं मान रहा हूँ एक IS Officer दुसरे IS Officer की बात नहीं मान रहा है। बडे दुख की बात है।

(viii) अभी तक हमने 130 से 150 तक पत्र लिखे हैं लेकिन अभी तक हमारे पास एक का भी जबाब नही आया है।

यह मिटिंग मिटिंग इसी सिलसिले में रखी है

3. **श्री राजेन्द्र डाबी, महामत्री, राजस्थान महासभा जयपुर**, ने सभा में श्री अशोक धानका गाँव मन्द राम पुरा v/s राजस्थान सरकार के केस के बारे में अवगत कराया कि उन्होंने प्रमाण पत्र बनवाने में काफी सहायता की ओर प्रमाण पत्र जारी करवाया गया। व 09.08.2019 के पत्र के सर्दभ में कोर्ट में जाने के पक्ष में अपने विचार दिये।

4. **श्री संन्त राम धानका सचालक, राजस्थान धानका अधिकारी व कर्मचारी राजस्थान** ने बताया कि 08 अक्टूबर 2022 को जयपुर में इस समिति का गठन किया गया । इस समिति के द्वारा सरकारी कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से समाज को सहयोग करने के लिए है। समाज की समितियां फेल होने के कारण हम सभी को जोडने का काम करेंगे।व फरवरी 2022 को राजस्थान के सात जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देने का आदेश जारी किया लेकिन तीन ही जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दे सके। सरकार को एक माह का नोटिस देकर हमें कोर्ट में जाना चहिये।

5. **श्री रमेश सौलकी दिल्ली** ने 2015 में करोडी लाल मीणा की स्टेटमेंट के बारे में अवगत कराया। 1 नवम्बर को अलवर में एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें चितौड़ गढ, उदयपुर के 7 भीलो ने इस बैठक में हिस्सा लिया था जिसमें कहा गया कि हमें एक होकर काम करना चाहिए, हम आपके साथ है। तथा 1891 की जनगणना से लेकर आजतक की जनगणना में DHANKA अग्रेजी वर्तनी में कोई बदलाव नहीं है।

6. **राज किशोर धानका एडवोकेट, जयपुर -** हमरा नेतृत्व मजबूत हो तथा साक्ष्य के साथ बोले।

7. **श्री मोहन लाल लुगरिया अध्यक्ष दिल्ली** - इन्होंने सरकार को ज्ञापन देकर धरना व कोर्ट में जाने की सलाह दी

8. **परमजीत सिंह निनानिया -** बाकी जातियों से सम्पर्क करे जैसे नायक - नायका, मोटा नायक - छोटा नायक, मीना - मीणा आदि जिससे हमें उनकी भी जानकारी मिलेगे।

9. **श्री माली राम जी खनगवाल** - इन्होंने मिटिंग में बताया कि हमें व्यक्ति गत रूप से कोर्ट में जाना चाहिए, ना कि समितियों के द्वारा।

10. **श्री राम फूल डाबला दिल्ली** - राम फूल जी ने सभा में सभी को अवगत कराया गया कि मिटिंग के आयोजकों ने आम सभा के बैनर मैं राजस्थान धाणका सघर्ष समिति, धानका महसभा जयपुर, धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली, तीनों के नामो में समानता नहीं है दो मे धानका - व एक में धाणका पहले हमें यह विचार करना है कि हम धानका है या धानका।

11. **श्री कटारिया कोटपूतली** - हमें मंथन करने के बाद ही कोर्ट में जाना चाहिए।

12. **श्री भवर लाल निरवाण जयपुर** ने कहा कि 2019 से लेकर 2023 तक हमने चार साल खो दिया है। मेरा कहना है कि हमे एक साथ होने में ही फायदा है। ओर आज हमे एक ठोस निर्णय लेकर उठना है।

13. **श्री रोशन लाल खर्रा नीम का थाना** ने कहा कि हमारी अज्ञानता, हमारी एकता, हमारी विखंडता के कारण ही प्रशासनिक कार्यवाही करके हमे इस फायदे से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। ओर कई फर्जी / अनैतिक पत्र जारी किये जा रहे हैं इसके लिए हमे न्यायालय के पक्ष में एक मंच के साथ चलना चाहिए।

14. **श्री कैलाश जी कोटपूतली** - नेतृत्व अगर कमज़ोर है तो नेतृत्व को बदल दे। एक अच्छा वकील करे पैसा भलेही ज्यादा लग जाये। लेकिन फैसला हमारे हक मे आना चाहिए।

15. **श्री अनिल धानका अध्यक्ष अलवर** ने अपने विचार में सभा में सभी समाज बन्धुओं को बताया कि हमारी समिति के कार्यकारणी के नेतृत्व में हमारे जिले के 14 सरपंचों को साथ लेकर श्री टीका राम जूली, मंत्री समाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जी जन आदालत में अपने दस्तावेजों के साथ मुलाकात की ओर अपनी समस्या ओ के बारे में अवगत कराया लेकिन मंत्री जी ने साफ मना कर दिया कि धानका जाति के जाति प्रमाण पत्र बिलकुल नही बनाये जायेगे।

16. **श्री सुरज भान धानका विधायक** जी एस सोमावत के द्वारा धानक ओर धानका को एक कहा जाना, यह समस्या हमारा राजनीति में आने के बाद आई है। राजनीति वो ताकत है जिससे सारे ताले खुलते हैं। यह कोर्ट में सुलझेगा। हम समाज के सिपाही है हमे नाम नहीं चाहिए, रास्ता सही चुने, यह सरकार बिलकुल नही करेगी। अत में कहा कि हम Silent में रहे तो आपका कुछ नहीं बिगडेगा।

17. श्री मुकेश मावर एडवोकेट जयपुर ने धानका जनजाति समाज समिति को धन्यवाद दिया कि समिति ने 13 विभागों को पत्र लिखा जिसमें से 12 का जबाब हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। हमें Article 32 के आधार पर हमे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अभी तक कोई भी संस्था कोर्ट में क्यों नहीं गई। हमारा नेतृत्व मजबूत होना चाहिए। हमें एक जुट होकर सघर्ष करना है। व एकता का प्रर्दशन करना होगा।

18. **श्री महावीर सिंह भाटी अजमेर**, RTI में धानका - धाणका दोनों को एक ही बताया गया है। सरकार में कोर्ट के माध्यम से 04 जिलों की रिपोर्ट आई है कि धानका धाणका एक ही है, तथ्यों के साथ मुकदमा दर्ज कराये। संशोधन के लिए सरकार के पास जाये व आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी भी होनी चहिये।

19. **श्री नरेंद्र जी पटवारी** ने बताया कि हमारे रिकॉर्ड बदल दिये गये हैं पहले धाणका लिखा हुआ था। अब धानका लिख दिया गया है। रिकॉर्ड साथ लेकर आये थे।

20. **श्री चरन जीत दैराण जयपुर** - 2019 के लेटर को कोर्ट के द्वारा आसानी से Stay मिल सकता है आगे हमे तथ्यों को इकट्ठा करना पडेगा। हमें इस विषय पर राष्ट्रपति व स्पीकर को भी पत्र लिखना चाहिए।

21. **श्री हरि नारायण निरवाण जयपुर** - हमने 2019 से लेकर 2023 के विचार सुन लिए है। 13.07.2010 के लेटर की तरह हमें धरना प्रदर्शन करके रोड़ पर आना होगा। एक होना पडेगा। तभी हमारी समस्या का समाधान होगा।

22. **श्री नन्द लाल डाबला दिल्ली** - कोर्ट ओर ग्राउंड की लड़ाई अलग अलग है । हमें शक्ति का प्रर्दशन करना पडेगा,। राम नारायण जी को अब युवाओ को बागडोर सोप देनी चाहिए उन्होंने सीरिया का उदाहरण भी दिया साथ ही उन्होंने बताया कि हमें आदिवासियों की तरह पत्ते बाधकर संसद पर धरना प्रदर्शन करना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी राष्ट्रीय जनजाति आयोग में उनका एक परिचित है। अगर आप उनसे मिलने के लिए कहेंगे तो हम उनसे मिलकर अपनी समस्याओ से अवगत करा सकते हैं।

23. **बाबू लाल मावर** ने सभी में बताया कि इस विषय पर नन्द लाल जी से पहले भी चर्चा की थी ओर मेने डाबला जी से कहा था कि आप हमे जब चाहो मिला दो हम आपके साथ चलने को तैयार है। सभा में ही हमने डाबला जी से कहा कि जल्द ही हम आपके साथ धानका जनजाति समिति दिल्ली, धानका समाज शेखावाटी 32 व राजस्थान धानका समाज अधिकारी व कर्मचारी महासभा के प्रतिनिधि आपके साथ राष्ट्रीय जनजाति आयोग से मिलेंगे।

24. **श्री राधे श्याम मावर , सहायक महानिदेशक पोस्टल**, ने बताया कि कोर्ट केस अन्तिम फैसला है, अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले है सरकार को हमारी ओर ध्यान देंने व हमारी बात मनवाने का अच्छा अवसर है इसके लिए हमें आन्दोलन का सहारा लेना चहिये, क्योंकि पत्राचार तो हमने काफी हद तक कर लिया है।

25. **श्री खाचरियावास जयपुर विधायक** - श्री राम नारायण जी ने खाचरियावास जी का माल्यार्पण करने के बाद उनको हमारी समस्या से अवगत कराया व ज्ञापन दिया, खाचरियावास जी ने अपने भाषण में कहा कि दो चार दिन में श्री राम नारायण जी व उनके साथ दो आदमी जो इस विषय के बारे में जानकारी रखते हैं, हम सभी श्री टीका राम जूली से मिलकर इस विषय पर बात करगे व विश्वास दिलाया है कि जल्दी ही धानका- धाणका के जाति प्रमाण पत्र जारी होगा।

निर्णय

(i). **अत में आप सभी के विचार ओर सभा में आये हुए लोगों का जोश, कि आज एक ठोस निर्णय लेकर उठना है। सभी की सहमति से यह तह किया गया कि खाचरियावास जी को जो ज्ञापन दिया गया है ओर मंत्री से मिलाने के बाद क्या निष्कर्ष निकालता है अगर दो महीने में हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तो ठीक है अन्यथा 15 दिन के बाद सरकार को ज्ञापन देकर हमे धरने की तैयार आरम्भ कर देनी चाहिए। धरना जयपुर में ही किया जायेगा। यह निर्णय सभा में उपस्थित सभी की सहमति से लिया गया है।**

अत में श्री सुरज भान धानका ने सभा में आये सभी लोगों का धन्यवाद किया ओर कहा कि अभी हमे काफी सघर्ष करना पडेगा हमे इसी प्रकार एक जुट होकर लडाई लड़नी होगी तभी हमे कामयाबी मिलेगी

धन्यवाद

सुरज भान धानका
सभा पति
पूव विधायक

बाबू लाल मावर
अध्यक्ष
धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली

राम नारायण धानका
अध्यक्ष
राजस्थान धाणका जनजाति सघर्ष समिति

राजेन्द्र डाबी
महामंत्री
राजस्थान धानका महासभा जयपुर

बुला राम धानका
संरक्षक
धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली

(Appendix – A)

धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली द्वारा 09.08.2019 व 24.09.2019 के संर्दभ में किये गए पत्राचार व सम्बंधित विभाग से प्राप्त जबाब:-

(पत्र स. - 1) **धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली ने श्री टीका राम जूली मंत्री जी को 25 जुलाई 22 व 18 नवम्बर 22 को पत्र लिखा था**

श्री टीका राम जूली के पत्र का जबाब:-

(A) दिनांक **19** दिसम्बर **22** टीका राम जूली की ओर से सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग जयपुर ने अपने पत्र में कहा है कि कुछ जिला से यह रिपोर्ट प्राप्त की हुई है कि धानका एव धाणका एक ही जाति है क्योंकि बोल चाल की भाषा में दोनों नाम से इस जाति को जाना जाता है परन्तु जिला कलेक्टरों की उक्त रिपोर्ट केवल कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मौखिक कथन के आधार पर पर ही प्रेषित की गई है. इस सम्बन्ध में कोई लिखित साक्ष्यों व सबूत राजस्व रिकॉर्ड साहित्यक रिकॉर्ड या अन्य कोई सग्रहालयी रिपोर्ट व अध्ययन रिपोर्ट सग्लंन कर रिपोर्ट नहीं भिजवायी है.

मात्र मौखिक कथन के आधार पर जाति या समुदाय के ध्वन्यात्मक समानता **(Phonetic Similarty)** के होने पर एक ही वर्ग अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित नहीं है. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियों के लिये बर्ष **2017** में एक पत्र जारी किया गया है.

वर्तमान में राज्य में सक्षम अधिकारियों द्वारा धाणका **(DHANKA)** जाति नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है एवम राज्य के सम्बधित पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जो जाति जिस जाति नाम से हिन्दी एव अग्रेजी में दर्ज है उस जाति को उसी जाति नाम से अनुरूप पोर्टल पर अपलोड किया गया है.

अत: उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में धानका जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता.

(पत्र सख्यां - 2) राष्ट्रीय जनजाति आयोग के चैयरमैन श्री हर्ष चौहान जी को 06 अक्टूबर को पत्र लिखा था.

श्री हर्ष चौहान के पत्र का जबाब :-

(A) जिसका जबाब में अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रमुख सचिव श्रीमती उषा शर्मा को **17** नवम्बर **22** को नोटिस भेजा है, नोटिस श्री **Shri H R Meena, Research Officer** द्वारा जारी किया गया कि प्राथी द्वारा दिये गये तथ्यों की जाचं करके / इस मामले की जाच करके एक महिने में हमारे पास भेजी जाये.

(B) दिनांक **17** नवम्बर **2022** को समिति ने **Sh H R Meena ko latter** लिखकर जबाब मांगा है कि धानका जनजाति समाज समिति के पत्र के संर्दभ में आपके कार्यालय द्वारा दिनांक **17** नवम्बर **2022** को जो पत्र प्रमुख सचिव राजस्थान को लिखा था उसका अभी तक कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है आपसे निवेदन है कि इस संर्दभ में आपके कार्यालय में कोई भी पत्र प्राप्त किया गया है तो उसकी एक कापी उपलब्ध कराये.

<u>दिनांक 17.11.2022 को Sh HR Meena द्वारा मुख्य सचिव को दिये गये ज्ञापन का जबाब, मुख्य सचिव राजस्थान द्वारा इस प्रकार से है.</u>

(C) दिनांक **15** फरवरी **<u>2023</u>** को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से प्राप्त पत्र में मुख्य सचिव राजस्थान कार्यालय से दिनांक **<u>30.22.22</u>** का पत्र सग्लंन है जिसके जबाब में **19** दिसम्बर **22** को समाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग जयपुर ने अपने पत्र में कहा है कि कुछ जिलो से यह रिपोर्ट प्राप्त की हुई है कि धानका एव धाणका एक ही जाति है क्योंकि बोल चाल की भाषा में दोनों नाम से इस जाति को जाना जाता है परन्तु जिला कलेक्टरों की उक्त रिपोर्ट केवल कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मौखिक कथन के आधार पर पर ही प्रेषित की गई है. इस सम्बन्ध में कोई लिखित साक्ष्यों व सबूत राजस्व रिकॉर्ड साहित्यक रिकॉर्ड या अन्य कोई सग्रहालयी रिपोर्ट व अध्ययन रिपोर्ट सग्लंन कर रिपोर्ट नहीं भिजवायी है.

मात्र मौखिक कथन के आधार पर जाति या समुदाय के ध्वन्यात्मक समानता **(Phonetic Similarty)** के होने पर एक ही वर्ग अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित नहीं है. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियों के लिये बर्ष **<u>2017</u>** में एक पत्र जारी किया गया है.

2017 के पत्र में लिखा है कि कुछ जिलो में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारीयों द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशों की अनुपालन ठीक ढंग से नहीं की जा रही है। व अधिसचनाओ में वरणित जाति की वर्तनी की **(Spelling)** का ठीक प्रकार से आवलोकन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण कई लोगों के जाति प्रमाण पत्र गलत जारी हो सकते है। गलत जारी प्रमाण पत्र किये गए जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संबंधित प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक अमल में लाई जा सकती है जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगे। साथ ही शंका एव झूठे जाति प्रमाण पत्र की शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में **2015** में प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय छानबीन एव सर्तकता सहित का गठन किया गया है।

वर्तमान में राज्य में सक्षम अधिकारियों द्वारा धाणका **(DHANKA)** जाति नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है एवम राज्य के सम्बधित पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जो जाति जिस जाति नाम से हिन्दी एव अग्रेजी में दर्ज है उस जाति को उसी जाति नाम से अनुरूप पोर्टल पर अपलोड किया गया है.

अत: उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में धानका जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता.

(पत्र संख्या -3) समिति ने प्रशासन सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जयपुर को दिनांक 27 जून 2022 06 अक्टूबर 2022 व 11 नवम्बर 2022 Reminder को पत्र लिखा.

प्रशासन सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जयपुर का जबाब:-

(A) जबाब में सामाजिक न्याय व अधिकारिता (सूची संशोधन विभाग) जयपुर ने दिनांक **06** जनवरी **2023** को उप सचिव जनजाति कार्य मंत्रालय को प्रार्थी का पत्र अग्रसारित करते का निदेश हुआ है, भारत सरकार (कार्य आवंटन) अधिनियम **1961** (समय समय पर संशोधित) के अनुसार अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कार्य जनजातीय मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है.

(B) दिनांक **16** फरवरी **2023** को जनजाति कार्य मंत्रालय में श्री मनोज बापना जी उप सचिव व अनुभाग अधिकारी से मुलाकात की, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान ने **06** जनवरी **2023** को उप सचिव श्री मनोज बापना को पत्र लिखा था उसके संर्दभ में, वार्तालाप करने पर हमे उप सचिव द्वारा विशवास दिलाया गया कि हम राजस्थान सरकार को पत्र लिखेंगे कि धानका जाति के बने हुए सभी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगे उनमें कोई बदलाव नहीं होगा. व धानका को शामिल कराने के लिए राजस्थान सरकार को लिखगे.धानका नाम को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा उसी के आधार पर धानका को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है.

(पत्र संख्या - 4) समिति ने मई 2022 को मुख्य सचिव राजस्थान को प्रत्र लिखा है जिसमें जनजाति कार्य मंत्रालय के पत्र फरवरी 2020 व मार्च 2022 के बारे में सष्टीकरण मागा गया, सम्बधित विभाग ने मामले को Under Progress बताया है.

(पत्र संख्या - 5) दिनांक **07** फरवरी **2023** को श्री अजगर अली, अवर सचिव जनजाति कार्य मंत्रालय से मिले व फरवरी **20** व मार्च **2020** के पत्र के बारे में वार्तालाप की, अवर सचिव ने बताया कि हम किसी सरकार पर बार बार दबाव नहीं बना सकते, हमने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को तीन बार पत्र लिखा है लेकिन राजस्थान सरकार से कोई जबाब नही आया. अजगर अली सहाब को धानका समाज के साथ होने वाली तकलीफों से अवगत कराने पर, अवर सचिव ने कहा कि आप एक पत्र दुबारा से दे दे ताकि हम राजस्थान सरकार को **storngling** लिख देगे. ओर हमने उसी समय अजगर अली जी को पत्र दिया तो उन्होंने हमे विशवास दिलाया कि हम राजस्थान सरकार को **15 - 20** दिन में पत्र आवश्यक लिख देगे.

(पत्र संख्या –6) श्री अजगर अली अवर सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दिनांक 21-02- 2023 को राजस्थान के मुख्य सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग को एक पत्र लिखा गया जिसमें

भारत के संविधान के अनुच्छेद **342** के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में संचार के विनिर्देशन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। हालांकि**,** अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और सामाजिक स्थिति के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/ **UT** अंडर टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है।

भारत सरकार ने **15.06.99** को और **25.06.2002** को आगे संशोधन करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में शामिल करने**,** इससे बाहर करने और अन्य संशोधन के लिए दावों के निर्धारण के तौर-तरीके निर्धारित किए हैं। इन तौर**-**तरीकों के अनुसार**,** कानून में संशोधन के लिए केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाना है**,** जिन पर भारत के महारजिस्ट्रार **(RGI)** और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग **(NCST)** की सहमति है। इन स्वीकृत तौर-तरीकों के अनुसार सभी कार्रवाई की जाती है।

राजस्थान की अनुसूचित जनजाति सूची में धानका समुदाय को शामिल करने के संबंध में जनजातीय मामलों के मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। मौजूदा तौर**-**तरीकों के अनुसार**,** राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव के प्रसंस्करण के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पूर्व**-**अपेक्षित है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए**,** जैसा उचित समझा जाए**,** आगे की कार्रवाई के लिए उल्लिखित संचार/अभ्यावेदन यहां अग्रेषित किए जाते हैं।

(पत्र संख्या -7) समिति ने मार्च**, 17** जून **22** को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को पत्र लिखा कि आपने आपके विभाग द्वारा वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन **2019-20** की पुस्तिका के पेज नंबर **15** पर अनुसूचित जनजाति की तालिका में धानका की जगह धनका लिख दिया है**.** विभाग से लम्बे पत्राचार के दौरान**,** विभाग ने अपनी पुस्तक में धनका की जगह धानका का **Amendment Latter** जारी कर दिया है**.** इस विभाग द्वारा वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन **2019-20** की पुस्तिका के पेज नंबर **15** पर अनुसूचित जनजाति की तालिका में धनका की जगह धानका पढा जाये*

(पत्र संख्या -8) जुलाई / अगस्त **2022** को समिति ने **RTI** के द्वारा वर्ष **2011** की प्रेत्यक जिले व जाति सहित जनता रिपोर्ट मागी गई**.** रिपोर्ट आने के बाद देखने से पता चला कि हिन्दी में राजस्थान के सभी जिलों में हमारा नाम गलत लिखा हुआ है**.** हमारे नाम को धानका की जगह धनका लिखा हुआ है जबकि अग्रेजी में **DHANKA** सही लिखा है

(पत्र संख्या -9) समिति ने वर्ष **2011** की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर दिनांक **19** जनवरी **2023** को राजस्थान के जनगणना विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया कि राजस्थान में वर्ष **2011** की जनगणना रिपोर्ट में धानका के स्थान पर धनका लिखा हुआ है जबकि अग्रेजी **(DHANKA)** में ठीक लिखा हुआ है अतः आप से अनुरोध है कि आप धनका की जगह धानका अपलोड करने की कृपा करें**.** कापी महा रजिस्ट्रार मुख्य कार्यालय व जनगणना मंत्रालय दिल्ली को लिखा है**.**

<u>जनगणना विभाग जयपुर का जबाब</u>

जनगणना विभाग जयपुर ने अग्रिम कार्यवाही के लिए महा रजिस्ट्रार आफिस मुख्य कार्यालय दिल्ली को दिनांक 15 फरवरी 2023 को भेज दिया है जोकि इस प्रकार है

धानका जनजाति समाज समिति, दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, **1976** को ध्यान में रखते हुए जनगणना पोर्टल पर सारणी - **11** (परिशिष्ट) में जनजाति "धनका" के स्थान पर "धानका - धाणका" दोनों को अपलोड करने का निवेदन किया हैं।

भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, **<u>1976</u>** के भाग **13** के बिंदु से **4** पर जनजाति "धाणका" वर्णित है। वर्तमान में भारत की जनगणना की वेब साइट पर उक्त सारणी अनुपलब्ध है।

1. **<u>09</u>** <u>अप्रैल</u> 2023 Reminder लिखकर को महा रजिस्ट्रार आफिस मुख्य कार्यालय दिल्ली को अवगत कराया गया कि उपरोक्त विषय के लिए प्रार्थी द्वारा अनुरोध पत्र दिनांक **15** फरवरी 2023 को डाक द्वारा आपके कार्यालय को भेजा गया लेकिन दिनांक **15** फरवरी 2023 से आज तक ना तो प्रार्थी को कोई सन्तोषजनक जबाब मिला है

2. महोदय जी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित समस्या किसी एक व्यक्ति विशेष की ना होकर एक समुदाय की है निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर क्या कार्यवाई की गई की, उसकी एक कापी शीघ्र भेजने की कृपा करें.

<u>(पत्र संख्या -10)</u> दिनांक **17 Nov 2022** को राजस्थान सरकार के सयुंक्त सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया कि भारत में कई ऐसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियाँ की जातियाँ हिन्दी में प्रकाशित नामों की वजह से भाषा के उच्चारणगत विभेद के कारण कतिपय जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं. जिसकी वजह से काफी कठिनाइयों हो रही है. जिसकी वजह से उस जाति / समुदाय का सही मायने में विकास नहीं हो पा रहा है.

राजस्थान में धानका जाति का हिन्दी में प्रकाशित होने के कारण राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों में इस जाति को कही पर धानका कह कर सम्बौधित किया जाता है तो कहीं पर धाणका कहकर सम्बौधित किया जाता है. जिसके कारण धानका जाति को काफी कठनाईयो का सामना करना पड़ता है. **1963** के हिन्दी भाषा अधिनियम, भारत के सविधान के अनुच्छेद **348 (1)** में सपष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी प्रकार के आदेश, नियम, विनयम का अग्रेजी संस्करण होना चाहिए तथा संसद, मत्रालय, न्यायालय में सभी आदेशो को अग्रेजी में ही मान्य होगे. इसलिये राजस्थान में धानका धाणका के स्थान पर अग्रेजी में **DHANKA** के जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाने के बारे में आवेदन पत्र.

3. 12 फरवरी 2023 Reminder लिखकर को माननीय सयुंक्त सचिव को अवगत कराया गया कि उपरोक्त विषय के लिए प्रार्थी द्वारा अनुरोध पत्र दिनांक **17 Nov 2022** को डाक द्वारा

आपके कार्यालय को भेजा गया लेकिन दिनांक **17 Nov 2022** से आज तक ना तो प्रार्थी को कोई सन्तोषजनक जबाब मिला है

4. महोदय जी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित समस्या किसी एक व्यक्ति विशेष की ना होकर एक समुदाय की है जोकि भारत सरकार के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदेश 1976 के अनुसार राजस्थान में धानका जाति भाग- XIII, क्रमांक-4 में अनुसूचित जनजाति में आती है**.**

5. महोदय जी आपके निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर क्या कार्यवाई की गई की**,** उसकी एक कापी शीघ्र भेजने की कृपा करें**.**

<u>(पत्र संख्या -10)</u> दिनांक **17 Nov 2022** को राजस्थान सरकार के सयुंक्त सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया कि भारत में कई ऐसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियाँ की जातियाँ हिन्दी में प्रकाशित नामों की वजह से भाषा के उच्चारणगत विभेद के कारण कतिपय जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं**.** जिसकी वजह से काफी कठिनाइयों हो रही है**.** जिसकी वजह से उस जाति / समुदाय का सही मायने में विकास नहीं हो पा रहा है**.**

राजस्थान में धानका जाति का हिन्दी में प्रकाशित होने के कारण राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों में इस जाति को कही पर धानका कह कर सम्बौधित किया जाता है तो कहीं पर धाणका कहकर सम्बौधित किया जाता है**.** जिसके कारण धानका जाति को काफी कठनाईयो का सामना करना पड़ता है**. 1963** के हिन्दी भाषा अधिनियम**,** भारत के सविधान के अनुच्छेद **348 (1)** में सपष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी प्रकार के आदेश**,** नियम**,** विनयम का अग्रेजी संस्करण होना चाहिए तथा संसद**,** मत्रालय**,** न्यायालय में सभी आदेशो को अग्रेजी में ही मान्य होगे**.** इसलिये राजस्थान में धानका धाणका के स्थान पर अग्रेजी में **DHANKA** के जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाने के बारे में आवेदन पत्र**.**

12 फरवरी 2023 Reminder लिखकर को माननीय सयुंक्त सचिव को अवगत कराया गया कि उपरोक्त विषय के लिए प्रार्थी द्वारा अनुरोध पत्र दिनांक **17 Nov 2022** को डाक द्वारा आपके कार्यालय को भेजा गया लेकिन दिनांक **17 Nov 2022** से आज तक ना तो प्रार्थी को कोई सन्तोषजनक जबाब मिला है

महोदय जी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित समस्या किसी एक व्यक्ति विशेष की ना होकर एक समुदाय की है जोकि भारत सरकार के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदेश 1976 के अनुसार राजस्थान में धानका जाति भाग- XIII, क्रमांक-4 में अनुसूचित जनजाति में आती है**.**

महोदय जी आपके निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर क्या कार्यवाई की गई की**,** उसकी एक कापी शीघ्र भेजने की कृपा करें**.**

(पत्र संख्या -11) **धानका विकास बोर्ड** - दिनांक **19** जनवरी **2023** को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अवगत कराया की आपकी सरकार द्वारा कई समाजों के विकास बोर्ड बनाये गये हैं व कई समाजों के नये विकास बोड बनाये जा रहे हैं. हमारी धानका समाज माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती है कि आप धानका समाज का भी एक धानका विकास बोर्ड बनाने की कृपा करें जिससे धानका समाज को भी आपकी योजनाओं का फायदा मिल सकें. इसके लिए धानका समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा. राजस्थान में धानका समाज लाखों की सख्या में निवास करती है ओर आपको ही हमेशा वोट देती आ रही है. धानका समाज हमेशा काग्रेस का वोट बैंक रहा है.

(पत्र संख्या -12) दिनांक **16** फरवरी **2023** को अर्जुन राम मेघवाल के निजी सचिव श्री तेजा राम जी से मिले ओर मेघवाल जी के द्वारा श्री विरेंद्र कुमार जी मंत्री,सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को लिखे पत्र की कापी प्राप्त की. श्री अर्जुन मेघवाल जी ने लिखा है कि राजस्थान में धानका समाज एक आदिवासी समाज है व धानका- धाणका एक ही जाति है जोकि अग्रेजी में दोनों को **DHANKA** ही लिखा जाता है।

(पत्र संख्या- 13) दिनांक 10 मार्च 2023 को श्री ओम बिरला, स्पीकर लोकसभा के निजी सचिव ने बताया कि आपका पत्र दिनांक 08 मार्च 2023 को श्री विरेंद्र कुमार जी मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को लिखे पत्र को भेज दिया गया है।

(पत्र संख्या- 14) **दिनांक 07 जुलाई 2022 को श्री अनिल कुमार झा , सचिव,जनजातीय कार्य मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत कराया जिसमें 09.08.2019 का पत्र तुरंत वापस ले तथा धानका - धाणका जाति के जाति प्रमाण पत्र जल्दी ही जारी किये जाये**

(पत्र संख्या- 15) **दिनांक 19 जनवरी 2023 को सुश्री आर जया, अपर सचिव, जनजातीय मामला मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत कराया जिसमें 09.08.2019 का पत्र तुरंत वापस ले तथा धानका - धाणका जाति के जाति प्रमाण पत्र जल्दी ही जारी किये जाये**

समिति ने सांसदों को पत्र

धानका जनजाति समाज समिति ने निर्णय लिया कि फरवरी से लोक सभा सेस्शन शुरू होने वाला है लोकसभा के सभी सांसदों को पत्र लिखकर अवगत कराया जाए कि राजस्थान सरकार अपने **9.8.2019** के पत्र जारी करने के बाद धानका समाज के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। जिसके कारण हमारे समाज को कापी कठनाईयो का सामना करना पड रहा है। इसी श्रृंखला में समिति ने राजस्थान के **25** के **25** सांसदों को पत्र देने का फैसला लिया लेकिन **13** सांसदों को ही पत्र दे पाये क्योंकि संसद खत्म होने के कारण ज्यादातर सांसद अपने अपने क्षेत्र में चले गए थे।

06 फरवरी 2023:-

1. श्री कनकमल कटारा - डुगरपुर
2. श्री राहुल कासवान - चुरू
3. श्री गजेंद्र सिंह शेखा - जोधपुर
4. श्री देव जी पटेल - जालौर

07 फरवरी 2023:-

1. श्री अर्जुन राम मेघवाल - बीकानेर
2. श्री नरेन्द्र कुमार - झुझुनू
3.. श्री सुमेधा नन्द सरस्वती - सीकर

08 फरवरी 2023:-

1. श्री कैलाश चौधरी - बाड़मेर
2. श्री ओम बिरला, स्पीकर - कोटा
3. श्री राज्य व - जयपुर
4. श्री मंहन्त बालक नाथ - अलवर

08 फरवरी 2023:-

1. श्रीमती रंजीता कोहली - Bharatpur.
2. श्री रामचरन वोहरा - जयपुर